

राजस्थान विधान सभा
ग्यारहवां सत्र
कार्य-सूची
शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त, 2013
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनायें

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.12(20)वित्त/कर/2012-102 दिनांक 8.2.2013 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा-9 के अन्तर्गत मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्रा०लि० को माल के प्रवेश पर कर में छूट प्रदान की गई है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.12(20)वित्त/कर/2012-103 दिनांक 8.2.2013 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 की धारा-5 के अन्तर्गत मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्रा०लि० को मोटरयानों पर कर में छूट प्रदान की गई है ;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-119 दिनांक 13.3.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-III में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-120 दिनांक 13.3.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-121 दिनांक 13.3.2013 अधिसूचना क्रमांक: एफ.12(44)वित्त/कर/07-12 दिनांक 23.4.2008 के विखंडन संबंधी अधिसूचना जारी की गई है ;
- 6- अधिसूचना संख्या: एफ.2(84)वित्त/कर/2010-122 दिनांक 25.3.2013 जिसके द्वारा फूडपार्क में भूमि एवं भवन के लिये सम्पादित प्रथम कन्वेन्स डीड पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
- 7- अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/12-01 दिनांक 1.4.2013 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा धारा-90-ए तथा 90-बी के तहत नियमितिकरण के मामलों में सम्पादित लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की गई है ;

जारी..2..

- 8- अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/12-02 दिनांक 1.4.2013 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित समस्त विलेखों/लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निर्धारित की गई है ;
- 9- अधिसूचना संख्या: एफ.2(11)वित्त/कर/2011-03 दिनांक 9.4.2013 जिसके द्वारा नगरपालिका के अधिकारियों को उप पंजीयक के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है ;
- 10- अधिसूचना संख्या: एफ.2(19)वित्त/कर/2007-04 दिनांक 9.4.2013 जिसके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी इंटरमिडियेटरी अनरजिस्टर्ड इंडूमेन्ट्स जारी की गई है ; ;
- 11- अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/12-05 दिनांक 9.4.2013 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित समस्त विलेखों/लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निर्धारित की गई है ;
- 12- अधिसूचना संख्या: एफ.2(70)वित्त/कर/12-06 दिनांक 9.4.2013 जिसके द्वारा संपरिवर्तन/नियमितीकरण के प्रार्थना-पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ-पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
- 13- अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/12-07 दिनांक 9.4.2013 जिसके द्वारा अरबन लोकल बोडीज द्वारा आवंटित/विक्रय के सम्पादित लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निर्धारित की गई है ;
- 14- अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/12-08 दिनांक 9.4.2013 जिसके द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90(ए) के तहत नियमितीकरण के संबंध में जारी लीज डीड के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की गई है ;
- 15- अधिसूचना संख्या: एफ.2(42)वित्त/कर/2009-09 दिनांक 16.4.2013 जिसके द्वारा ऋण अनुबन्ध पर डिस्कॉम को स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;
- 16- अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)वित्त/कर/2010-10 दिनांक 17.4.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)वित्त/कर/10-81 दिनांक 6.10.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 17- अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)वित्त/कर/10-11 दिनांक 24.4.2013 अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)वित्त/कर/10-78 दिनांक 6.10.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 18- अधिसूचना संख्या: एफ.12(27)वित्त/कर/13-12 दिनांक 1.5.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम-39(1) के अन्तर्गत दिनांक 1.5.2013 से ठीक पूर्ण प्रवृत्त भुगतान का तरीका दिनांक 30.6.2013 तक वही रहने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है ;

- 19- अधिसूचना संख्या: एफ.12(27)वित्त/कर/13-13 दिनांक 1.5.2013 जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) नियम, 1957 के नियम-6बी(1) के अन्तर्गत दिनांक 1.5.2013 से ठीक पूर्ण प्रवृत्त भुगतान का तरीका दिनांक 30.6.2013 तक वही रहने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है ;
- 20- अधिसूचना संख्या: एफ.12(27)वित्त/कर/13-14 दिनांक 1.5.2013 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 के नियम-7(1) के अन्तर्गत दिनांक 1.5.2013 से ठीक पूर्ण प्रवृत्त भुगतान का तरीका दिनांक 30.6.2013 तक वही रहने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है ;
- 21- अधिसूचना संख्या: एफ.12(27)वित्त/कर/13-15 दिनांक 1.5.2013 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 के नियम-8(1) के अन्तर्गत दिनांक 1.5.2013 से ठीक पूर्ण प्रवृत्त भुगतान का तरीका दिनांक 30.6.2013 तक वही रहने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है ;
- 22- अधिसूचना संख्या: एफ.12(34)वित्त/कर/10-16 दिनांक 1.5.2013 जिसके द्वारा बिटुमिन इमल्सन एवं मोडीफाईड बिटुमिन पर मूल्य परिवर्धित कर की रियायती दर से संबंधित अधिसूचना जारी की गई है ;
- 23- अधिसूचना संख्या: एफ.2(14)वित्त/कर/2013-17 दिनांक 9.5.2013 जिसके द्वारा राजस्थान फूड एण्ड सिविल सप्लाइ कॉरपोरेशन लि० द्वारा फूड कैश क्रेडिट लि० के दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;
- 24- अधिसूचना संख्या: एफ.2(8)वित्त/कर/13-18 दिनांक 9.5.2013 जिसके द्वारा जानोदय विद्यालय की स्थापना के संबंध में सम्पादित लीज डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;
- 25- अधिसूचना संख्या: एफ.2(84)वित्त/कर/10-19 दिनांक 10.5.2013 जिसके द्वारा एगो बिजनेस पॉलिसी, 2010 के अन्तर्गत प्रथम सेल डीड अथवा लीज डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;
- 26- अधिसूचना संख्या: एफ.2(48)वित्त/कर/09-20 दिनांक 10.5.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(43)वित्त/कर/05-82 दिनांक 25.8.2005 में संशोधन किया गया है ;
- 27- अधिसूचना संख्या: एफ.2(48)वित्त/कर/09-21 दिनांक 10.5.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(43)वित्त/कर/05-89 दिनांक 20.9.2006 में संशोधन किया गया है ;
- 28- अधिसूचना संख्या: एफ.2(54)वित्त/कर/07-22 दिनांक 24.5.2013 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस द्वारा जारी बॉण्ड्स पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;
- 29- अधिसूचना संख्या: एफ.2(84)वित्त/कर/10-23 दिनांक 24.5.2013 जिसके द्वारा एगो प्रोसेसिंग एवं एगो बिजनेस पॉलिसी, 2010 के अन्तर्गत सम्पादित सेल डीड अथवा लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;

- 30- अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/10-24 दिनांक 29.5.2013 जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम की धारा-5 के तहत जिलों एवं उप जिलों का गठन एवं उनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया है ;
- 31- अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/10-25 दिनांक 29.5.2013 जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम की धारा-6 के तहत पंजीकरण अधिकारी की नियुक्ति की गई है ;
- 32- अधिसूचना संख्या: एफ.12(118)वित्त/कर/09-26 दिनांक 5.6.2013 जिसके द्वारा ऐसे उद्यमी जो एगो प्रोसेसिंग एवं एगो बिजनेस के उन्नयन के लिये नीति, 2010 के अन्तर्गत स्थापित हैं, के संबंध में विद्युत शुल्क का परिहार किया गया है ;
- 33- अधिसूचना संख्या: एफ.12(118)वित्त/कर/2009-27 दिनांक 7.6.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(18)वित्त/कर/2008-51 दिनांक 27.7.2012 में संशोधन किया गया है ;
- 34- अधिसूचना संख्या: एफ.2(11)वित्त/कर/11-29 दिनांक 21.6.2013 जिसके द्वारा सरपंच को पंजीकरण अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है ;
- 35- अधिसूचना संख्या: एफ.12(39)वित्त/कर/13-30 दिनांक 28.6.2013 जिसके द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार को दी गई वेक्सिन वैनों के स्थानीय क्षेत्रों में लाये जाने पर प्रवेश कर से छूट प्रदान की गई है ;
- 36- अधिसूचना संख्या: एफ.12(27)वित्त/कर/2013-31 दिनांक 1.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम-39(1) के अन्तर्गत दिनांक 1.5.2013 से ठीक पूर्ण प्रवृत्त भुगतान का तरीका दिनांक 31.12.2013 तक वही रहने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है ;
- 37- अधिसूचना संख्या: एफ.12(27)वित्त/कर/2013-32 दिनांक 1.7.2013 जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) नियम, 1957 के नियम-6बी(1) के अन्तर्गत दिनांक 1.5.2013 से ठीक पूर्ण प्रवृत्त भुगतान का तरीका दिनांक 31.12.2013 तक वही रहने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है ;
- 38- अधिसूचना संख्या: एफ.12(27)वित्त/कर/13-33 दिनांक 1.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 के नियम-7(1) के अन्तर्गत दिनांक 1.5.2013 से ठीक पूर्ण प्रवृत्त भुगतान का तरीका दिनांक 31.12.2013 तक वही रहने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है ;

- 39 अधिसूचना संख्या: एफ.12(27)वित्त/कर/13-34 दिनांक 1.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 के नियम-8(1) के अन्तर्गत दिनांक 1.5.2013 से ठीक पूर्ण प्रवृत्त भुगतान का तरीका दिनांक 31.12.2013 तक वही रहने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है ;
- 40- अधिसूचना संख्या: एफ.4(33)वित्त/कर/87-पार्ट-1-35 दिनांक 4.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
- 41- अधिसूचना संख्या: एफ.4(33)वित्त/कर/87-पार्ट-1-36 दिनांक 4.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8(3) के अन्तर्गत पुलिस कैन्टीन द्वारा राजस्थान में की गई माल की बिक्री कर मूल्य परिवर्धित कर से छूट संबंधी अधिसूचना जारी की गई है ;
- 42- अधिसूचना संख्या: एफ.4(33)वित्त/कर/87-पार्ट-1-37 दिनांक 4.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8(3) के अन्तर्गत पुलिस कैन्टीन द्वारा राजस्थान में की गई खरीद पर 3 प्रतिशत से अधिक कर से छूट प्रदान की गई है ;
- 43- अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/12-38 दिनांक 8.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90-ए के तहत नियमितीकरण के मामलों में सम्पादित लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;
- 44- अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/12-39 दिनांक 8.7.2013 जिसके द्वारा अरबन लोकल बोडीज द्वारा भूमि आवटन/विक्रय के संबंध में सम्पादित लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;
- 45- अधिसूचना संख्या: एफ.2(70)वित्त/कर/12-40 दिनांक 8.7.2013 जिसके द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान दिनांक 31.7.2013 तक प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्रों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
- 46- अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/12-41 दिनांक 8.7.2013 जिसके द्वारा अरबन लोकल बोडीज द्वारा जारी पुर्नवैध लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
- 47- अधिसूचना संख्या: एफ.2(19)वित्त/कर/2007-42 दिनांक 8.7.2013 जिसके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी इंटरमिडियेटरी अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्पड इंस्ट्रूमेन्ट्स जारी की गई है ;
- 48- अधिसूचना संख्या: एफ.2(98)वित्त/कर/10-पार्ट-43 दिनांक 9.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन द्वारा जारी रूपये 7.00 लाख के शेयर सर्टिफिकेट पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;

- 49- अधिसूचना संख्या: एफ.2(98)वित्त/कर/2010-पार्ट-44 दिनांक 9.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन द्वारा जारी रूपये 9,93,00,000/- के शेयर सर्टिफिकेट पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
- 50- अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/10-45 दिनांक 9.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा जारी रूपये 750 करोड़ के नॉन कनवर्टेबल बॉण्ड्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
- 51- अधिसूचना संख्या: एफ.12(71)वित्त/कर/10-46 दिनांक 17.7.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(71)वित्त/कर/10-05 दिनांक 8.4.2011 में संशोधन किया गया है ;
- 52- अधिसूचना संख्या: एफ.2(88)वित्त/कर/10-49 दिनांक 30.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि0 द्वारा आवंटित/जारी शेयर सर्टिफिकेट्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
- 53- अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/10-50 दिनांक 30.7.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/2010-54 दिनांक 30.9.2011 में संशोधन किया गया है ;
- 54- अधिसूचना संख्या: एफ.12(19)वित्त/कर/13-51 दिनांक 2.8.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम-79 में संशोधन किया गया है ;
- 55- अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/12-52 दिनांक 2.8.2013 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90ए के तहत नियमितीकरण के संबंध में जारी लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
- 56- अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/12-53 दिनांक 2.8.2013 जिसके द्वारा लोकल बोडीज द्वारा आवंटित/विक्रय के संबंध में सम्पादित लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;
- 57- अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/12-54 दिनांक 2.8.2013 जिसके द्वारा लोकल बोडीज द्वारा जारी पुर्नवैध लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;
- 58- अधिसूचना संख्या: एफ.2(70)वित्त/कर/12-55 दिनांक 2.8.2013 जिसके द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान दिनांक 30.9.2013 तक प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;
- 59- अधिसूचना संख्या: एफ.2(19)वित्त/कर/07-56 दिनांक 2.8.2013 जिसके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी इंटरमिडियेटरी अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्पड इंस्ट्रुमेन्ट्स जारी की गई है ;

- 60- अधिसूचना संख्या: एफ.12(39)वित्त/कर/2013-57 दिनांक 8.8.2013 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 के तहत एक ब्लड ट्रासपोर्ट वैन को प्रवेश कर से छूट संबंधी अधिसूचना जारी की गई है ;
- 61- अधिसूचना संख्या: एफ.12(138)वित्त/कर/09-58 दिनांक 8.8.2013 जिसके द्वारा डिस्कोम्स द्वारा स्थानीय क्षेत्रों में लाई गई सीएफएलल्स पर प्रवेश कर से छूट प्रदान की गई है ;
- 62- अधिसूचना संख्या: एफ.12(101)वित्त/कर/11-59 दिनांक 13.8.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)वित्त/कर/2005-80 दिनांक 11.8.2006 के अधिक्रमण में, संकर्म संविदा के निष्पादन में लगे हुए रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों को, संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित माल में की सम्पत्ति के अन्तरण पर उद्ग्रहणीय कर के संदाय से छूट प्रदान की गई है ; एवं
- 63- अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/10-60 दिनांक 14.8.2013 जिसके द्वारा पाली में नया उप पंजीयक कार्यालय सृजित किया गया है ;

3. विधायी कार्य

(क) पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013

- (I) श्री राम किशोर सैनी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय
विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-44)

"राजस्थान राज्य में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(ख) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013

- (I) श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-39)

"राजस्थान राज्य में जोबनेर में कृषि विज्ञान के विकास के लिये कृषि विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013

- (I) श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-40)

"राजस्थान राज्य में जोधपुर में कृषि विज्ञान के विकास के लिये कृषि विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(III) कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013

- (I) श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा
विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-41)

"राजस्थान राज्य में कोटा में कृषि विज्ञान के विकास के लिये कृषि विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(IV) मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013

- (I) डॉ० दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

मौलाना आजाद विश्वविद्यालय,
जोधपुर विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-42)

"राजस्थान राज्य में मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(V) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- राजस्थान कृषि उपज मण्डी
(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-43)
- "राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(VI) राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान
की गारंटी (संशोधन)
विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-38)
- "राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी
अधिनियम, 2011 को संशोधित करने के लिये
विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

प्रदीप कुमार शास्त्री
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 29 अगस्त, 2013